संख्या- 07/2015/153/41-2015-40(यो0)**/13**

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 23 जनवरी, 2015

विषय- राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद मथुरा में ऐतिहासिक जलकुण्डों के जीर्णोद्धार की योजनान्तर्गत 10 ऐतिहासिक जल कुण्डों के जीर्णोद्धार की योजना हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-1727/6-1-1(मथुरा कुण्डो)/2015, दिनांक 15-01-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश सं0-1868/41-2013-40यो0/13, दिनांक 08-01-2014 द्वारा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद मथुरा में ऐतिहासिक जलकुण्डों के जीर्णोद्धार की योजनान्तर्गत 10 ऐतिहासिक जल कुण्डों के जीर्णोद्धार की योजना हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0-915.70 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0-500.00 लाख की धनराशि स्वीकृत कर अवमुक्त की गयी थी। इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि रू0 415.70 लाख के सापेक्ष्य अन्तिम किस्त के रूप में अपेक्षित रू0 415.70 लाख (चार करोड पन्द्रह लाख सत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं -

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

(3)- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-22-मथुरा में प्राचीन काल के ऐतिहासिक जलकुण्डों एवं तालाबों क जीर्णोद्धार-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4)- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22.07.2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

<u>संख्या-07/2015/153(1)/41-2015 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल) आडिट, उत्तर प्रदेश, सत्य निष्ठा भवन, 15-ए, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
6- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, आगरा परिक्षेत्र, आगरा।
7- संबंधित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
8- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in